



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245238
CG-DL-E-18042023-245238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1688]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945

No. 1688]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1768(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3101 दिनांक 21.07.2022 का.आ. 3261(अ) दिनांक 20.07.2022 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में किया गया है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की तहसील- वाघोडिया की भूमि में गुजरात राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) तक एल.पी.जी. परिवहन के लिए आई.एच.बी.लि. द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 17/10/2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में श्री .मयंककुमार आर. पटेल, सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी.लि. में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी.लि. पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुका - वाघोडिया

जिला - वडोदरा

राज्य- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पवलेपुर	41	00	25	04
	40	00	00	68
	6	00	53	85
	15	00	05	54
	7	00	02	36
	ग्रामतल	00	01	71
	14	00	21	45
	216	00	03	23
	218	00	04	43
	185	00	26	85
	181	00	25	10
	179	00	00	45
	178	00	02	85
	176	00	07	08
	177	00	06	91
	174	00	03	51
बाकरोल	189	03	35	61
निमेठा	290	01	66	15
	199	00	01	22
	192	00	10	84
	193	00	03	52
	191	00	01	18
	457	00	08	70
	173	00	04	24
	172	00	04	33
	188	00	05	22
	186	00	12	56
	458	00	05	92
	184	00	02	49
	319	00	23	65
	322	00	00	25
	306	00	10	29

गाँव का नाम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निमेठा (जारी...)	304	00	09	51
	229	00	05	34
	462	00	03	43
	230	00	22	02
	303	00	00	19
	449	00	04	59
	438	01	19	14
मोरलीपुरा	322	00	00	94
	323	00	08	11
	320	00	01	86
	318	00	10	35
	317	00	00	09
	316	00	08	45
	296	00	03	16
	314	00	00	02
	494	00	01	56
	298	00	08	50
	301	00	04	32
	299	00	03	43
	300	00	13	27
	306	00	10	47
	307	00	08	46
	234	00	04	74
	308	00	13	46
	213	00	00	01
	215	00	02	30
	214	00	08	94
	211	00	04	33
	209	00	10	04
	208	00	02	26
	218	00	02	41
	202	00	05	44
	201	00	03	76
	180	00	07	86
	181	00	02	23
	182	00	06	61
	183	00	01	43
	179	00	09	14
	177	00	13	61
	176	00	04	42
	175	00	08	32
	173	00	00	10
	174	00	11	23

गाँव का नाम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मोरलीपुरा (जारी...)	497	00	02	55
	140	00	08	63
	139	00	00	21
	499	00	05	68
कुमेठा	706	00	04	27
	708	00	05	52
	707	00	01	01
	705	00	11	63
	712	00	06	17
	1011	00	02	30
	605	00	12	64
	621	00	00	02
	602	00	03	90
	604	00	03	53
	603	00	05	48
	623	00	00	38
	594	00	09	58
	592	00	05	32
	582	00	14	28
	583	00	08	63
	585	00	04	56
	580	00	02	84
	577	00	09	74
	1031	00	00	87
भावपुरा	4	00	16	52
	3	00	20	28
	2	00	19	77
	215	00	10	62
	45	00	01	67
	214	00	00	70
	232	00	05	31
	137	00	01	21
	212	00	09	99
	सड़क	00	02	64
	126	00	01	21
	117	00	03	59
	118	00	02	25
	120	00	07	86
	121	00	05	21
	113	00	05	81
	112	00	06	92
	111	00	08	04
	231	00	05	67

गाँव का नाम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भावपुरा(जारी...)	109	00	00	51
	114	00	12	12
	नदी	00	08	85
	61	00	25	03
	60	00	11	87
	58	00	06	45
	55	00	15	75
	54	00	01	70
भनियारा	नाला	00	22	81
	365	00	02	94
	364	00	10	72
	सड़क	00	01	47
	392	00	07	05
	395/अ	00	02	83
	सड़क	00	02	07
	397	00	14	42
	403	00	16	75
	405	00	09	19
	409/1	00	09	87
	407/3	00	04	87
	407/2	00	05	88
	420	00	40	87
	823	00	05	13
	465/2	00	10	82
	468	00	02	74
	465/1	00	00	96
	467	00	06	20
	461	00	11	22
	सड़क	00	02	71
	509	00	07	26
	508	00	05	20
	513	00	14	20
	514	00	08	11

गाँव का नाम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भनियारा (जारी...)	515	00	05	62
	516	00	20	80
	502	00	18	82
	501	00	10	34
	660	00	02	65
	659	00	05	20
	661	00	16	81

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I-पार्ट (1)/ई-45901]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1768(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 3101 date : 21.07.2022 S.O No. 3261(E) date 20.07.2022 part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Here in after referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil – Waghodia in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla in the State of Gujarat to Gorakhpur in the State of Uttar Pradesh by the IHB Limited for implementing the “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project”.

And whereas the copies of the said gazette notification were made available to the public upto 17/10/2022.

And whereas Shri. Mayankkumar R. Patel, Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TALUKA – WAGHODIA

DISTRICT- VADODARA

STATE- GUJARAT

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pavlepur	41	00	25	04
	40	00	00	68
	6	00	53	85
	15	00	05	54
	7	00	02	36
	GRAMTAL	00	01	71
	14	00	21	45
	216	00	03	23
	218	00	04	43
	185	00	26	85
	181	00	25	10
	179	00	00	45
	178	00	02	85
	176	00	07	08
	177	00	06	91
	174	00	03	51
Bakrol	189	03	35	61
Nimetha	290	01	66	15
	199	00	01	22
	192	00	10	84
	193	00	03	52
	191	00	01	18
	457	00	08	70
	173	00	04	24
	172	00	04	33
	188	00	05	22
	186	00	12	56
	458	00	05	92
	184	00	02	49
	319	00	23	65
	322	00	00	25
	306	00	10	29
	304	00	09	51
	229	00	05	34
	462	00	03	43

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nimetha (Contd.)	230	00	22	02
	303	00	00	19
	449	00	04	59
	438	01	19	14
Morlipura	322	00	00	94
	323	00	08	11
	320	00	01	86
	318	00	10	35
	317	00	00	09
	316	00	08	45
	296	00	03	16
	314	00	00	02
	494	00	01	56
	298	00	08	50
	301	00	04	32
	299	00	03	43
	300	00	13	27
	306	00	10	47
	307	00	08	46
	234	00	04	74
	308	00	13	46
	213	00	00	01
	215	00	02	30
	214	00	08	94
	211	00	04	33
	209	00	10	04
	208	00	02	26
	218	00	02	41
	202	00	05	44
	201	00	03	76
	180	00	07	86
	181	00	02	23
	182	00	06	61
	183	00	01	43
	179	00	09	14
	177	00	13	61
	176	00	04	42
	175	00	08	32
	173	00	00	10
	174	00	11	23
	497	00	02	55
	140	00	08	63
	139	00	00	21

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kumetha	499	00	05	68
	706	00	04	27
	708	00	05	52
	707	00	01	01
	705	00	11	63
	712	00	06	17
	1011	00	02	30
	605	00	12	64
	621	00	00	02
	602	00	03	90
	604	00	03	53
	603	00	05	48
	623	00	00	38
	594	00	09	58
	592	00	05	32
	582	00	14	28
	583	00	08	63
	585	00	04	56
	580	00	02	84
	577	00	09	74
	1031	00	00	87
Bhavpura	4	00	16	52
	3	00	20	28
	2	00	19	77
	215	00	10	62
	45	00	01	67
	214	00	00	70
	232	00	05	31
	137	00	01	21
	212	00	09	99
	ROAD	00	02	64
	126	00	01	21
	117	00	03	59
	118	00	02	25
	120	00	07	86
	121	00	05	21
	113	00	05	81
	112	00	06	92
	111	00	08	04
	231	00	05	67
	109	00	00	51
	114	00	12	12

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bhavapura (Contd.)	River	00	08	85
	61	00	25	03
	60	00	11	87
	58	00	06	45
	55	00	15	75
	54	00	01	70
Bhaniyara	Nala	00	22	81
	365	00	02	94
	364	00	10	72
	Road	00	01	47
	392	00	07	05
	395/A	00	02	83
	Road	00	02	07
	397	00	14	42
	403	00	16	75
	405	00	09	19
	409/1	00	09	87
	407/3	00	04	87
	407/2	00	05	88
	420	00	40	87
	823	00	05	13
	465/2	00	10	82
	468	00	02	74
	465/1	00	00	96
	467	00	06	20
	461	00	11	22
	Road	00	02	71
	509	00	07	26
	508	00	05	20
	513	00	14	20
	514	00	08	11
	515	00	05	62
	516	00	20	80
	502	00	18	82
	501	00	10	34

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bhaniyara (Contd.)	660	00	02	65
	659	00	05	20
	661	00	16	81

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I –Part (1)/ E-4590I]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.